Office of Elect. Consumer Grievances Redressal Forum
Uttarakhand Power Corporation Ltd.
Electricity Testing Laboratory Campus
Syalidhar, Almora – 263601
E-mail - cgrfalmora@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

कार्यालय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड
विद्युत परीक्षण प्रयोगशाला परिसर

उपस्थिति–

1–ओ0पी0 दीक्षित, सदस्य तकनीकी
2–भूपेन्द्र सिंह बिष्ट, सदस्य उपभोक्ता

परिवाद संख्या–249 / 2025

श्री पान सिंह पुत्र नारायण सिंह — वादी
ग्राम– मलाडी,पो0ऑ0 लमगड़ा
जिला– अल्मोड़ा

बनाम

अधिशासी अभियंता, — प्रतिवादी
विद्युत वितरण खण्ड,
जिला–अल्मोड़ा,

1 वादी ने अपनी शिकायत में बताया कि उनके कनेक्शन संख्या एआर 19537917555 के सापेक्ष उनका विद्युत बिल बहुत अधिक आ रहा है जो कि वर्तमान मे रू0 65483 निर्गत हुआ है। उन्होने बताया कि वह एक किलोवाट विद्युत भार के बी.पी.एल उपभोक्ता हैं जिनका विगत में बिल रू0 100–200 प्रतिमाह आता था। वादी ने बिल ठीक कराने के लिए निवेदन किया है।

प्रकरण को मंच के कार्यालय पत्र संख्या 921 दिनांक 23.06.2025 के द्वारा शिकायतकर्ता के प्रार्थनापत्र की प्रतिलिपि के साथ अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड, अल्मोड़ा को तथ्यात्मक विवरणों सहित अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिये भेजा गया।

2 .मंच की सुनवाई तिथि दिनांक 07.07.2025 में वादी की तरफ से श्री पान सिंह तथा विभाग की तरफ से श्री तुषार चौहान ए.ई.आर उपस्थित हुए। वादी ने बताया कि वह एक बी.पी.एल उपभोक्ता हैं जिनका विगत में बिजली बिल रू0 100–200 प्रतिमाह आता था जो एकाएक रू0 65483 प्राप्त हुआ है। जो कि सही नहीं है। विभाग ने बताया मीटर की चेकिंग के लिए वादी द्वारा रू0 100 जमा किये थे लेकिन मीटर जला होने के कारण चेक मीटर लगना संभव नहीं हो पाया। उन्होने बताया कि बिल रिकार्ड में मीटररीडर द्वारा 56011 रीडिंग अंकित है जिसके अनुसार बिल निर्गत किया गया जो कि सही प्रतीत नहीं हो रहा। वादी ने फरवरी 2025 में रू0 5000 लम्सम् जमा किये हैं। विभाग को निर्देशित किया गया था कि वह मीटर की अंतिम रिडिंग रिट्रीव कर विस्तृत आख्या मंच के समक्ष अगली सुनवायी तिथि 29.07.2025 से पहले प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

3 .मंच की सुनवाई तिथि दिनांक 29.07.2025 में वादी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। विभाग की तरफ से श्री अजय भारद्वाज एस.डी.ओ. मय श्री जीवन जोशी कार्यालय सहायक द्वितीय उपस्थित हुए। विभाग ने बताया कि मीटर जला होने के कारण अंतिम रीडिंग नहीं मिल पा रही है। उन्होने मीटर मेक

कंपनी के द्वारा अंतिम रीडिंग निकालने के लिए कुछ समय का निवेदन किया था। विभाग को निर्देशित किया गया था कि वह मंच की अगली सुनवायी तिथि 11.08.2025 से पहले अंतिम रीडिंग प्रेषित करें।

4 .मंच की सुनवाई तिथि दिनांक 11.08.2025 में वादी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। विभाग की तरफ से श्री जीवन जोशी कार्यालय सहायक द्वितीय उपस्थित हुए। उन्होने बताया कि उपभोक्ता का पुराना मापक जला हुआ था जिस कारण मापक की अंतिम रीडिंग बता पाना संभव नहीं है। वादी का पक्ष जानने के लिए अगली सुनवायी तिथि 28.08.2025 नियत की गयी थी।

5 .मंच की सुनवाई तिथि दिनांक 28.08.2025 में वादी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। विभाग की तरफ से उपस्थित श्री तुषार चौहान ए.ई.आर ने बताया कि पुराना मापक जला हुआ था, जिसको दिनांक 20.02.2025 को बदल दिया गया है। उन्होने बताया कि मीटर जला होने की वजह से मीटर की अंतिम रीडिंग बता पाना संभव नहीं है। इन परिस्थियों में विभाग को निर्देशित किया जाता है कि नये मीटर के पिछले 6 महीने के विद्युत उपभोग के आधार पर तथा मौसमी प्रभाव को देखते हुए संशोधित बिल 15 दिन के अंदर वादी को उपलब्ध कराएं तद्पश्चात् 10 दिन के अंदर उपरोक्त पर अनुपालन आख्या मंच के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

आदेश

यह प्रकरण मीटर के जल जाने के पश्चात् अंतिम रीडिंग 56011 पर रू0 65453 का निर्गत किये जाने से संबंधित है। मीटर की वास्तविक अंतिम रीडिंग की पुष्टि विभाग द्वारा संभव नहीं हो पायी है। उपभोक्ता एक बी.पी.एल श्रेणी का है जिनका विगत में बिल 100–200 रू0 प्रतिमाह आता रहा है। इन परिस्थितियों में विभाग को निर्देशित किया जाता है कि नये मीटर के पिछले 6 महीने के विद्युत उपभोग के आधार पर तथा मौसमी प्रभाव को देखते हुए संशोधित बिल 15 दिन के अंदर वादी को उपलब्ध कराएं तद्पश्चात् 10 दिन के अंदर उपरोक्त पर अनुपालन आख्या मंच के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण को निस्तारित किया जाता है।

उभय पक्ष वाद को लेकर एक दूसरे से किसी तरह का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी 30 दिन के भीतर विद्युत लोकपाल, 80 वसन्त विहार देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील कर सकते हैं। आज यह निर्णय खुले फॉरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक – 28.08.2025

बी0 एस0 बिष्ट
उपभोक्ता सदस्य

ओ0पी0 दीक्षित
तकनीकी सदस्य

Office of Elect. Consumer Grievances Redressal Forum
Uttarakhand Power Corporation Ltd.
Electricity Testing Laboratory Campus
Syalidhar, Almora – 263601
E-mail - cgrfalmora@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

कार्यालय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड
विद्युत परीक्षण प्रयोगशाला परिसर

उपस्थिति–

1–ओ0पी0 दीक्षित, सदस्य तकनीकी
2–भूपेन्द्र सिंह बिष्ट, सदस्य उपभोक्ता

परिवाद संख्या–207 / 2024

श्री तनुज भट्ट पुत्र स्व0 श्री रमेश चंद्र भट्ट — वादी
ग्राम–फुलई जागेश्वर,
जिला– अल्मोडा।

बनाम

अधिशासी अभियंता, — प्रतिवादी
विद्युत वितरण खण्ड,
जिला–अल्मोड़ा,

1 वादी ने अपनी शिकायत में बताया कि उन्होने 10 किलोवाट के स्थाई संयोजन के लिए विद्युत विभाग में आवेदन किया था जो कि विभाग में लंबित है। उन्होने उक्त संयोजन निर्गत कराने के लिए निवेदन किया है।

प्रकरण को मंच के कार्यालय पत्र संख्या 710 दिनांक 16.12.2024 के द्वारा शिकायतकर्ता के प्रार्थनापत्र की प्रतिलिपि के साथ अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड, अल्मोड़ा को तथ्यात्मक विवरणों सहित अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिये भेजा गया।

2 .मंच की सुनवाई तिथि दिनांक 26.12.2024 में वादी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। विभाग की तरफ श्री तुषार चौहान ए.ई.आर. उपस्थित हुए। यह प्रकरण नया कनेक्शन से संबंधित हैं जिसमें 10 किलोवाट के सापेक्ष साइट पर लोड अधिक पाया गया। विभाग को निर्देशित किया गया था कि 10 दिन के अंदर प्रकरण पर विस्तृत आख्या मंच के समक्ष प्रस्तुत करें। अगली सुनवायी की तिथि 13.01.2025 नियत की गयी थी।

3 .मंच की सुनवाई तिथि दिनांक 13.01.2025, 27.01.2025 तथा 27.02.2025 में वादी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। विभाग की तरफ से उपस्थित श्री तुषार चौहान ए.ई.आर. ने आख्या प्रस्तुत करने के लिए 15 दिन का समय मांगा था। वादी से उनके द्वारा दिये गये फोन न0 9690891995 पर बात की गयी जिसमें उन्होने बताया कि उनके परिसर में 30 से 40 प्रतिशत ही ऑक्यूपेंन्सी रहेगी। वाद की अगली सुनवायी तिथि 17.03.2025 नियत की गयी थी।

4 .मंच की सुनवाई तिथि दिनांक 17.03.2025 में वादी की तरफ से श्री शुभम भट्ट तथा विभाग की तरफ श्री जीवन जोशी कार्यालय सहायक द्वितीय उपस्थित हुए। वादी ने बताया कि उन्होने अपने प्लांट में लगभग 18 कमरे बनाए है, परंतु इसमें से लगभग 10 कमरे अभी उपयोग में नही है और इनमें ताले लगे हुए हैं तथा अभी इन कमरों के लिए उन्हें विद्युत भार की आवश्यकता नहीं है।उन्होने बताया कि उन्होने अभी वर्तमान आवश्यकता को देखते हुए 10 किलोवाट का विद्युत संयोजन एप्लाई किया हैं और संबंधित लाईनमैन ने रिपोर्ट दी है कि वादी का भार 10 किलोवाट से ज्यादा है जो कि वर्तमान में उपयोग में नहीं होगा।

विभाग में यह पॉलिसी भी प्रचलित है कि जिन उपभोक्ताओं के विद्युत भार या विद्युत उपभोग निर्धारित मानक से ज्यादा पाया जाता है उन प्रकरणों में विभाग, तद्नुसार विद्युत भार बढाकर अतिरिक्त प्रतिभूति जमा राशि (ए.एस.डी.)वसूल करता है। वादी के अनुसार वर्तमान में उनका विद्युत भार 10 किलोवाट है जिसे अविलंभ दे दिया जाए। विभाग को निर्देशित किया जाता है कि वह 10 दिन के अंदर वादी को नया संयोजन निर्गत करें। अगली सुनवायी तिथि 26.03.2025 नियत की गयी थी।

5..मंच की सुनवाई तिथि 26.03.2025,16.04.2025,02.05.2025 तथा 19.05.2025 में वादी की तरफ से श्री शुभम भट्ट तथा विभाग की तरफ से श्री तुषार चौहान ए. ई. आर..उपस्थित हुए। विभाग ने बताया कि 10 किलोवाट भार के लिए अन्य मदों के अलावा 25 के.वी.ए. का नया ट्रांसफॉर्मर प्रस्तावित किया गया है। वादी ने बताया कि उनके पास पहले से ही 63 के.वी.ए. का ट्रांसफॉर्मर लगा हुआ है जहां से विद्युत भार दिया जा सकता है। उन्होने बताया कि 10 किलोवाट के लिए 25 के.वी.ए. ट्रांसफॉर्मर की कॉस्ट लेना वाजिव नहीं है। विभाग को निर्देशित किया गया था कि वादी के परिसर के पास लगे हुए ट्रांसफॉर्मरों की पीक लोडिंग लेकर मंच के समक्ष प्रस्तुत करें। अगली सुनवायी तिथि 02.06.2025 नियत की गयी थी।

6.मंच की सुनवाई तिथि 02.06.2025,17.06.2025 तथा 07.07.2025 में वादी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। विभाग की तरफ से उपस्थित श्री जीवन जोशी कर्यालय सहायक द्वितीय ने बताया कि ट्रांसफॉर्मर पर मीटर नहीं लगा हुआ है मंच ने ट्रांसफॉर्मर की पीक लोडिंग लेने के लिए निर्देशित किया था जो कि ट्रांसफॉर्मर पर लगे मीटर से, यदि स्थापित हो या पीक आर्वस में टोंग टेस्टर के द्वारा लिया जा सकता है। विभाग को पुर्नः निर्देशित किया गया था कि वह टोंग टेस्टर के माध्यम से पीक आर्वस में ट्रांसफॉर्मर के तीनों फेसों एंव न्यूटल का लोड लेकर 15 दिन के अंदर रिपोर्ट मंच के समक्ष प्रस्तुत करें। अगली सुनवायी तिथि 29.07.2025 नियत की गयी थी।

7. मंच की सुनवाई तिथि 29.07.2025 में वादी की तरफ से श्री योगेश भट्ट तथा विभाग की तरफ से श्री अजय भारद्वाज एस.डी. ओ उपस्थित हुए। उन्होने बताया कि 26.07.2025 में सांय सात बजे टोंग टेस्टर से ली गयी रींडिग में तीनों फेजों में लोडिंग 37ए, 26ए तथा 32ए पायी गयी है जो कि सर्दी के मौसम में हीटिंग लोड के प्रयोग के कारण दोगुने से अधिक हो सकती है। वादी ने बताया कि नया ट्रांसफॉर्मर लगाने के लिए क्षेत्रीय विधायक ने विधायक निधि की सहमती दे दी है। अगली सुनवायी तिथि 11.08.2025 नियत की गयी थी।

8. मंच की सुनवाई तिथि 11.08.2025 में वादी की तरफ कोई उपस्थित नहीं हुआ। विभाग की तरफ से श्री जीवन जोशी कर्यालय सहायक द्वितीय उपस्थित हुए। विभाग ने बताया कि वादी का संयोजन निर्गत कर दिया गया है जिसकी पुष्टि वादी से उनके द्वारा दिये गये फोन नंबर 9690891995 पर कर ली गयी है।

आदेश

विभाग द्वारा वर्तमान ट्रांसफॉर्मर पर लगभग 45 प्रतिशत लोडिंग को देखतें हुए वादी का संयोजन निर्गत कर दिया गया है जिसकी पुष्टि वादी से उनके द्वारा दिये गये फोन नंबर 9690891995 पर कर ली गयी है।

उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण को निस्तारित किया जाता है।

उभय पक्ष वाद को लेकर एक दूसरे से किसी तरह का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी 30 दिन के भीतर विद्युत लोकपाल, 80 वसन्त विहार देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन / अपील कर सकते हैं। आज यह निर्णय खुले फॉरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक – 11.08.2025

बी0 एस0 बिष्ट
उपभोक्ता सदस्य

ओ0पी0 दीक्षित
तकनीकी सदस्य

Office of Elect. Consumer Grievances Redressal Forum
Uttarakhand Power Corporation Ltd.
Electricity Testing Laboratory Campus
Syalidhar, Almora – 263601
E-mail - cgrfalmora@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

कार्यालय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड
विद्युत परीक्षण प्रयोगशाला परिसर

उपस्थिति–

1–ओ0पी0 दीक्षित, सदस्य तकनीकी
2–भूपेन्द्र सिंह बिष्ट, सदस्य उपभोक्ता

परिवाद संख्या–239 / 2025

श्रीमती रीमा कुमार पुत्री श्री राजेद्रंर कुमार — वादी
ग्राम–खूंट, पो0 ऑ0–धामस,
जिला– अल्मोडा।

बनाम

अधिशासी अभियंता, — प्रतिवादी
विद्युत वितरण खण्ड,
जिला–अल्मोड़ा,

1 वादी ने अपनी शिकायत में बताया कि उन्होने अपने भवन निर्माण कार्य हेतु, बिजली विभाग से एक टेम्परेरी कनेक्शन लगवाया था जिसमें विभागीय कर्मचारी द्वारा बताया गया था कि आपको सिक्योरिटी राशि रू0 12000.00 जमा करने होगें जिसको स्थाई संयोजन के समय समायोजित कर दिया जाएगा। लेकिन अब विभाग द्वारा बताया जा रहा है कि घरेलू संयोजन के लिए पूरा पैसा जमा करें तथा 12000 रू0 की सिक्योरिटी राशि तीन महिने बाद वापस होगी। वादी ने उक्त सिक्योरिटी राशि घरेलू संयोजन के सापेक्ष समायोजित करनें का अनुरोध किया है।

प्रकरण को मंच के कार्यालय पत्र संख्या 858 दिनांक 21.04.2025 के द्वारा शिकायतकर्ता के प्रार्थनापत्र की प्रतिलिपि के साथ अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड, अल्मोड़ा को तथ्यात्मक विवरणों सहित अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिये भेजा गया।

2 .मंच की सुनवाई तिथि दिनांक 02.05.2025 में वादी की तरफ से श्री रणजीत सिंह, तथाकथित प्रतिनिधि, श्रीमती रीमा कुमार (वादी) उपस्थित हुए। उन्होने बताया कि वादी ने 09.2023 में भवन निर्माण के लिए एक अस्थाई संयोजन लिया था जो कि पूर्ण हो चुका है और वह संयोजन कटवाने के पश्चात् जमा की गयी जमानत धनराशि रू0 12000.00 मात्र को नयेसंयोजन के सापेक्ष समायोजित कर, शेष बिल देना चाहते हैं। विभाग ने बताया था कि वादी पहले अस्थाई संयोजन कटवाएं और उसके बिल का अंतिम भुगतान करने के बाद स्थाई संयोजन के लिए आवेदन करें। विभाग को मंच के पंत्राक 858 दिनांक 21.04.2025 के द्वारा उपरोक्त पर आख्या प्रेषित करने के लिए भेजा गया था जोकि प्रतिक्षित है। वाद की अगली सुनवायी तिथि 19.05.2025 नियत की गयी थी जिसके लिए श्री रणजीत सिंह बिष्ट को कहा गया था कि वादी या तो स्वंय अथवा अधिकृत पत्र के माध्यम से उनको सुनवायी के लिए अधिकृत कर सकती हैं।

11/8/25

3 .मंच की सुनवाई तिथि दिनांक 19.05.2025 तथा 02.06.2025 में वादी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। विभाग की तरफ से श्री तुषार चौहान ए.ई.आर. ने बताया कि वादी ने नंबवंर 2023 में एक स्थायी संयोजन लिया था और अब वह स्थाई संयोजन लेने के लिए, अस्थाई संयोजन के सापेक्ष जमा की गयी जमानत राशि का समायोजित करवाना चाहती हैं। विभाग ने बताया कि दोनों संयोजनो के श्रेणी के खाता मद अलग अलग होते है। अतः स्थाई संयोजन लेने के लिए वह अस्थाई संयोजन की पीडी कराकर नये संयोजन के सापेक्ष निर्धारित धनराशि जमा करें तत्पश्चात् अस्थाई संयोजन के सापेक्ष जमा धनराशि को नियमानुसार वापिस कर दिया जाएगा। वादी का पक्ष जानने के लिए अगली सुनवायी 17. 06.2025 नियत की गयी थी।

4 .मंच की सुनवाई तिथि दिनांक 17.06.2025 में वादी की तरफ से श्री रणजीत सिंह बिष्ट प्रतिनिधि श्रीमती रीमा कुमार तथा विभाग की तरफ से श्री जीवन जोशी कर्यालय सहायक द्वितीय उपस्थित हुए। वादी को मंच की कार्यवाही निर्देश दिनांक 02.06.2025 के अनुक्रम में अवगत करा दिया गया था। वादी ने निवेदन किया था कि अस्थाई संयोजन की पीडी में विलंब के कारण उन्हें स्थाई संयोजन नहीं मिल पा रहा है। विभाग को निर्देशित किया गया था कि वह अस्थाई संयोजन की 15 दिन के अंदर पीडी कराना सुनिश्चित करें ताकि उनके द्वारा जमा की गयी जमानत राशि का भुगतान हो सके। विभाग को कहा गया था कि वह मंच की अगली सुनवायी तिथि 07.07.2025 से पहले उपरोक्त पर अनुपालन आख्या प्रेषित करना सुनिश्चित करें। श्री रणजीत सिंह बिष्ट को कहा गया था कि वह वादी श्रीमती रीमा कुमार से अधिकृत पत्र अगली सुनवायी तिथि तक जमा करा दें।

5..मंच की सुनवाई तिथि दिनांक 07.07.2025 29.07.2025 तथा 11.08.2025 में वादी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। विभाग की तरफ से उपस्थित श्री जीवन जोशी कर्यालय सहायक द्वितीय ने बताया कि वादी के संयोजन की स्थाई विच्छेदन की कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है। उन्होने बताया कि अस्थायी संयोजन के सापेक्ष जमा की गयी जमानत धनराशि की मांग कॉपरेशन मुख्यालय से की गयी है जो कि 15 दिन के अंदर निर्गत होने की संभावना है। उन्होने बताया की मुख्यालय से धनराशि निर्गत होते ही संबंधित उपभोक्ता को जमानत धनराशि लौटा दी जाएगी।

आदेश

विभाग द्वारा बताया गया है कि वादी के अस्थायी संयोजन की स्थाई विच्छेदन (पी.डी) की कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है। उन्होने बताया कि अस्थायी संयोजन के सापेक्ष जमा की गयी जमानत धनराशि की मांग कॉपरेशन मुख्यालय से की गयी है जो कि 15 दिन के अंदर निर्गत होने की संभावना है। उन्होने बताया की मुख्यालय से धनराशि निर्गत होते ही संबंधित उपभोक्ता को जमानत धनराशि लौटा दी जाएगी। विभाग को निर्देशित किया जाता है कि वह 15 दिन के अंदर अस्थायी संयोजन के सापेक्ष जमा, जमानत धनराशि को वादी को निर्गत करना सुनिश्चित करें तथा साथ ही स्थायी संयोजन निर्गत करने की कार्यवाही नियमानुसार पूर्ण करें।

उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण को निस्तारित किया जाता है।

उभय पक्ष वाद को लेकर एक दूसरे से किसी तरह का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी 30 दिन के भीतर विद्युत लोकपाल, 80 वसन्त विहार देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील कर सकते हैं। आज यह निर्णय खुले फॉरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक – 11.08.2025

बी0 एस0 बिष्ट
उपभोक्ता सदस्य

ओ0पी0 दीक्षित 11/8/25
तकनीकी सदस्य

Office of Elect. Consumer Grievances Redressal Forum
Uttarakhand Power Corporation Ltd.
Electricity Testing Laboratory Campus
Syalidhar, Almora – 263601
E-mail - cgrfalmora@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

कार्यालय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड
विद्युत परीक्षण प्रयोगशाला परिसर

उपस्थिति–

1–ओ0पी0 दीक्षित, सदस्य तकनीकी
2–भूपेन्द्र सिंह बिष्ट, सदस्य उपभोक्ता

परिवाद संख्या–247 / 2025

श्री गिरिश चंद्र
ग्राम– सल्ट मौलीखाल,भिंकियासैंण
जिला– अल्मोड़ा

वादी

बनाम

अधिशासी अभियंता,
विद्युत वितरण खण्ड, भिंकियासैंण
जिला–अल्मोड़ा,

प्रतिवादी

1 वादी ने अपनी शिकायत में बताया कि उनका मीटर खराब था जिसको विभाग ने बदल दिया था परंतु बिल में संशोधन नहीं हुआ है। उन्होने बिल को ठीक कराने के लिए निवेदन किया है।

प्रकरण को मंच के कार्यालय पत्र संख्या 916 दिनांक 20.06.2025 के द्वारा शिकायतकर्ता के प्रार्थनापत्र की प्रतिलिपि के साथ अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड, भिंकियासैंण को तथ्यात्मक विवरणों सहित अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिये भेजा गया।

2 .मंच की सुनवाई तिथि दिनांक 29.07.2025 में वादी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। विभाग की तरफ से ई. मेल द्वारा सूचित किया गया था कि पंचायत चुनाव की वजह से ए.ई.आर. की ड्यूटी लगा दी गयी थी जिस वजह से उन्हे अगली सुनवायी की तिथि दी जाए। अगली सुनवायी तिथि 11.08.2025 नियत की गयी थी।

3 .मंच की सुनवाई तिथि दिनांक 11.08.2025 में वादी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। विभाग की तरफ से भी कोई उपस्थित नहीं हुआ। विभाग ने अपने पत्र संख्या 1333 दिनांक 05.08.2025 के माध्यम से सूचित किया था कि वादी के बिल का संशोधन कर दिया गया है वादी का पक्ष जानने के लिए अगली सुनवायी तिथि 28.08.2025 नियत की गयी थी।

3 .मंच की सुनवाई तिथि दिनांक 28.08.2025 में वादी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। विभाग की तरफ से सूचित किया गया था कि वादी के बिल का संशोधन कर दिया गया है और संशोधित बिल रू0 3949.01 बनता है। विभाग ने बताया कि वादी को भी इससे अवगत करा दिया गया है।

28/8/25

परिवाद संख्या–247 / 2025

आदेश

विभाग द्वारा वादी के बिल का संशोधन कर दिया गया है और संशोधित बिल रू0 3949.01 बनता है। विभाग द्वारा इस संशोधन बिल के बारे में वादी को सूचित कर दिया गया है।

उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण को निस्तारित किया जाता है।

उभय पक्ष वाद को लेकर एक दूसरे से किसी तरह का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी 30 दिन के भीतर विद्युत लोकपाल, 80 वसन्त विहार देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन / अपील कर सकते हैं। आज यह निर्णय खुले फॉरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक – 28.08.2025

28/8/25

बी0 एस0 बिष्ट
उपभोक्ता सदस्य

ओ0पी0 दीक्षित
तकनीकी सदस्य

Office of Elect. Consumer Grievances Redressal Forum
Uttarakhand Power Corporation Ltd.
Electricity Testing Laboratory Campus
Syalidhar, Almora – 263601
E-mail - cgrfalmora@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

कार्यालय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड
विद्युत परीक्षण प्रयोगशाला परिसर

उपस्थिति–

1–ओ0पी0 दीक्षित, सदस्य तकनीकी
2–भूपेन्द्र सिंह बिष्ट, सदस्य उपभोक्ता

परिवाद संख्या–248 / 2025

श्री देवेन्द्र सिंह नयाल
पुत्र स्व0 श्री कुशाल सिंह नयाल
दाड़िमखोला, पो0 ऑ0– भगतोला
जिला– अल्मोड़ा

वादी

बनाम

अधिशासी अभियंता,
विद्युत वितरण खण्ड, अल्मोड़ा
जिला–अल्मोड़ा,

प्रतिवादी

1 वादी ने अपनी शिकायत में बताया कि वह एक बी.पी.एल उपभोक्ता हैं जिनके यहां एक कमरे के मकान में टीवी,कूलर,पंखा आदि कोई उपकरण नहीं है और वह लगातार विद्युत बिल का भुगतान करते आ रहे है। उन्होने बताया कि अचानक से हजारों रूपये का बिल निर्गत हुआ है। उन्होने बिल को ठीक करने का निवेदन किया है।

प्रकरण को मंच के कार्यालय पत्र संख्या 914 दिनांक 20.06.2025 के द्वारा शिकायतकर्ता के प्रार्थनापत्र की प्रतिलिपि के साथ अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड, अल्मोड़ा को तथ्यात्मक विवरणों सहित अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिये भेजा गया।

2 .मंच की सुनवाई तिथि दिनांक 07.07.2025 में वादी की तरफ से श्री धीरज सिंह नयाल पुत्र श्री देवेन्द्रर सिंह नयाल तथा विभाग की तरफ से श्री तुषार चौहान ए.ई.आर उपस्थित हुए। वादी ने बताया की वह एक बी.पी.एल उपभोक्ता है जिसका विगत में प्रतिमाह रू0 50 तक बिल आता था जो कि एकाएक बढ़कर रू0 22885 हो गया है जबकि उनके घर में कुल दो तीन बल्ब जलते है। विभाग को निर्देशित किया गया था कि वह मीटर की एम.आर.आई कर तथा स्थलीय निरीक्षण में कनेक्टेड लोड के विवरण के साथ अपनी आख्या मंच की अगली सुनवायी दिनांक 29.07.2025 से पहले भेजना सुनिश्चित करें।

3 .मंच की सुनवाई तिथि दिनांक 29.07.2025 में वादी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। विभाग की तरफ से उपस्थित श्री अजय भारद्वाज एस.डी.ओ ने बताया कि मीटर की एम.आर.आई प्रक्रियाधीन है।

और उसकी रिपोर्ट 10 दिन के अंदर मंच के समक्ष प्रस्तुत कर दी जाएगी। मंच की अगली सुनवायी दिनांक 11.08.2025 को नियत की गयी थी।

4 .मंच की सुनवाई तिथि दिनांक 11.08.2025 में वादी की तरफ से श्री धीरज सिंह तथा विभाग की तरफ से श्री जीवन जोशी कार्यालय सहायक द्वितीय उपस्थित हुए। वादी ने बताया की वह एक बी.पी. एल उपभोक्ता है और उसके वहां सिर्फ दो एल.ए.डी बल्ब जलते है। मंच की पिछली सुनवायी में विभाग को स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट तथा एम.आर.आई रिपोर्ट प्रेषित करने के निर्देश दिये गये थे जो कि प्रतिक्षित है। मंच की अगली सुनवायी तिथि 28.08.2025 नियत की गयी थी।

5 .मंच की सुनवाई तिथि दिनांक 28.08.2025 में वादी की तरफ से उनके पुत्र श्री धीरज सिंह नयाल से उनके द्वारा दिये गये फोन नं0 9520695851 पर सुनवायी की गयी। विभाग की तरफ से श्री तुषार चौहान ए.ई.आर उपस्थित हुए। विभाग ने स्थलीय निरीक्षण में बताया की वादी क़ा बिल एक किलोवाट से कम है। विभाग द्वारा प्रेषित बिलिंग हिस्ट्री के अनुसार अक्टूबर 2023 तक, विद्युत उपभोग 60 यूनिट (बी.पी.एल.) से कम रहा है, लेकिन इसके बाद यह नवंबर 2023 में 335 यूनिट ,दिसंबर 2023 में 162 यूनिट, ज़नवरी 2024 में 616 यूनिट, फरवरी 2024 में 475 यूनिट, मार्च 2024 266 यूनिट – – अगस्त 2024 में 732 यूनिट तथा मार्च 2025 तक यह 20–30–00–01–01 आया है। विभाग ने बताया कि वादी ने संयोजन के सापेक्ष 22.10.2023 से कोई भुगतान नहीं किया है जिसके कारण मार्च 2025 में वादी की बिजली कट गयी थी। वादी द्वारा मंच के समक्ष 18.06.2025 में वाद दायर किया गया है। यह प्रकरण डंप रीडिंग से संबंधित प्रतीत होता है जिसकी पुष्टि एम.आर.आई रिपोर्ट से भी होती है। विभाग को निर्देशित किया जाता है कि डंप अवधि का पुनः निरीक्षण कर बिना ब्याज के (एल.पी.एस.सी.रहित) संशोधित बिल 15 दिन के अंदर वादी को प्रेषित करें तद्पश्चात् 10 दिन के अंदर उपरोक्त पर अनुपालन आख्या मंच के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

आदेश

यह प्रकरण डंप रीडिंग से संबंधित है जिसकी पुष्टि एम.आर.आई रिपोर्ट से भी होती है। विभाग को निर्देशित किया जाता है कि डंप अवधि का पुनः निरीक्षण कर बिना ब्याज के (एल.पी.एस.सी.रहित) संशोधित बिल 15 दिन के अंदर वादी को प्रेषित करें तद्पश्चात् 10 दिन के अंदर उपरोक्त पर अनुपालन आख्या मंच के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण को निस्तारित किया जाता है।

उभय पक्ष वाद को लेकर एक दूसरे से किसी तरह का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी 30 दिन के भीतर विद्युत लोकपाल, 80 वसन्त विहार देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन / अपील कर सकते हैं। आज यह निर्णय खुले फॉरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक – 28.08.2025

बी0 एस0 बिष्ट
उपभोक्ता सदस्य

ओ0पी0 दीक्षित
तकनीकी सदस्य

Office of Elect. Consumer Grievances Redressal Forum
Uttarakhand Power Corporation Ltd.
Electricity Testing Laboratory Campus
Syalidhar, Almora – 263601
E-mail - cgrfalmora@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

कार्यालय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड
विद्युत परीक्षण प्रयोगशाला परिसर

उपस्थिति–

1–ओ0पी0 दीक्षित, सदस्य तकनीकी
2–भूपेन्द्र सिंह बिष्ट, सदस्य उपभोक्ता

परिवाद संख्या–250 / 2025

श्री किशन राम , — वादी
ग्राम–पठुरा, पो0ऑ0–वैसीखेत
जिला– अल्मोडा।

बनाम

अधिशासी अभियंता, — प्रतिवादी
विद्युत वितरण खण्ड,
जिला–अल्मोड़ा,

1. वादी ने अपनी शिकायत में बताया कि वह अपना विद्युत कनेक्शन अपने नाम लेना चाहते है। उन्होने नया संयोजन निर्गत कराने के लिए निवेदन किया है।

प्रकरण को मंच के कार्यालय पत्र संख्या 937 दिनांक 09.07.2025 के द्वारा शिकायतकर्ता के प्रार्थनापत्र की प्रतिलिपि के साथ अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड, अल्मोड़ा को तथ्यात्मक विवरणों सहित अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिये भेजा गया।

2 .मंच की सुनवाई तिथि दिनांक 29.07.2025 में वादी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। विभाग की तरफ से श्री अजय भारद्वाज एस.डी.ओ. मय् श्री जीवन जोशी कार्यालय सहायक द्वितीय उपस्थित हुए। विभाग ने बताया की वादी ने अभी तक फॉर्म के साथ आवश्यक दस्तावेज जमा नहीं किये हैं। वादी को कहा गया था कि वह निर्धारित फॉर्म भरकर आवश्यक दस्तावेज 15 दिन के अंदर अधिशासी अभियंता / उपखंड कार्यालय में नया संयोजन हेतु जमा कर दें तथा इस संदर्भ में मंच को अवगत करा दें अन्यथा की स्थिति में प्रकरण का निस्तारण कर दिया जाएगा। मंच की अगली सुनवायी तिथि 11.08.2025 नियत की जाती है।

3 .मंच की सुनवाई तिथि दिनांक 11.08.2025 में वादी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। विभाग की तरफ से उपस्थित श्री जीवन जोशी कार्यालय सहायक द्वितीय उपस्थित हुए। विभाग ने बताया कि वादी ने नये संयोजन हेतु आवश्यक दस्तावेज एंव प्रकालन धनराशि अभी जमा नहीं की गयी है। वादी से उनके द्वारा दिये गये फोन नंबर 9528868793 पर बात की गयी। उन्होने बताया कि अभी उनके नाम से मालिकाना हक के दस्तावेज ट्रांसफर्र नहीं हुए है, इसलिये वह नये संयोजन के लिए अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। उन्होने कहा है कि जैसे ही दस्तावेज तैयार होगें, वह नये संयोजन के लिए अप्लाई कर देगें।

11/8/25

आदेश

विभाग द्वारा बताया गया है कि वादी ने नये संयोजन हेतु आवश्यक दस्तावेज एंव प्रकालन धनराशि अभी जमा नहीं की है। वादी से उनके द्वारा दिये गये फोन नंबंर 9528868793 पर बात की गयी। उन्होने बताया कि अभी उनके नाम से मालिकाना हक के दस्तावेज ट्रांसफर्र नहीं हुए है, इसलिये वह नये संयोजन के लिए अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। उन्होने कहा है कि जैसे ही दस्तावेज तैयार होगे, वह नये संयोजन के लिए अप्लाई कर देगें।

वादी को कहा जाता है कि वह नये संयोजन हेतु आवश्यक दस्तावेज एंव धनराशि उपखंड अधिकारी कार्यालय/अधिशासी अभियंता कार्यालय में जमा करें, ताकि विभाग द्वारा नियमानुसार संयोजन निर्गत किया सकें।

उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण को निस्तारित किया जाता है।

उभय पक्ष वाद को लेकर एक दूसरे से किसी तरह का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी 30 दिन के भीतर विद्युत लोकपाल, 80 वसन्त विहार देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील कर सकते हैं। आज यह निर्णय खुले फॉरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक – 11.08.2025

बी0 एस0 बिष्ट
उपभोक्ता सदस्य

11/8/25
ओ0पी0 दीक्षित
तकनीकी सदस्य